रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266677
SG-DL-E-04102025-266677

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 265
No. 301] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947 [N. C. T. D. No. 265

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

फा. सं. 19(48)/सचि./ परिवहन/2025/223.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होकर कि जन सुरक्षा, यातायात के सुचारु प्रवाह और आम जनता की सुविधा के हित में यह आवश्यक है, एतत्द्वारा वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी वाहनों, जिनमें ई–रिक्शा और ई–कार्ट शामिल हैं, को सुबह 10:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक करोल बाग मार्केट दिल्ली की सड़क पर लोडिंग/अनलोडिंग और पार्किंग करने पर रोक लगाते/प्रतिबंधित करते हैं।

यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों पर लगाए गए या स्थापित किए गए उपयुक्त यातायात संकेतों द्वारा भी इंगित किया जाएगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार,
जितेंद्र यादव, विशेष आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2025

F. No. 19(48)/Sectt./Tpt./2025/223.—In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety, smooth flow of traffic and convenience of general public do hereby prohibit/restrict, all the vehicles under the category of commercial vehicles, including e-Rickshaws and e-Carts loading/un-loading and parking their vehicles on road of Karol Bagh Market Delhi from 10:00 AM to 8.00 PM.

This shall also be indicated by appropriate traffic signs placed or erected at suitable under section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

JITENDER YADAV, Special Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.04 17:23:06 +05'30'